क्रम संख्या–201 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 331 / XXXVI(3) / 2015 / 58(1) / 2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2015'** पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 27 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2015)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत के गणराज्य के छयासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियम होः—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2(छ) का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 2 का खण्ड (छ)निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः—

''आमोद के अन्तर्गत डाईरेक्ट टू होम (डी0टी0एच0) प्रसारण सेवा तथा कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, आमोदन, क्रीड़ा यथा बॉलिंग एले, वॉटर स्पोर्ट्स, कठपुतली, जॉइण्ट व्हील, कौशल के खेल, वीडियों गेम, रोप-वे से की जाने वाली सवारी, जहां तक गन्तव्य तक पहुंचने के अन्य विकल्प (चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाये) पैडलबोट, वायुयान द्वारा मनोरंजन के लिये उड़ान, हॉट एअर गैस बलूनिंग, पैराग्लाईडिंग आदि, खेलकूद या दौड़ (घोड़ा दौड़ भी) है, **रिवर राफ्टिंग**, जिसमें अदायगी करने पर व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है और चलचित्र प्रदर्शनी भी दशा में, इसमें न्यूज रील, वृत्तचित्र, कार्टून, विज्ञापन शॉट या स्लाईड का प्रदर्शन भी है चाहे उन्हे किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन से पहले या उसके दौरान या पृथकतः प्रदर्शित किए जाय।''

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।